

प्रेस-विज्ञप्तिथाना दीदारगंज02 रायफल व 15 जिन्दा कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित, ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी फूलपुर के कुशल निर्देशन में दि० 06.2.2021 को थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह मय हमराह के अभियान तहत भ्रमणशील रहकर दिनांक 06.2.21 को समय 18.22 बजे अभियुक्त रविकान्त यादव पुत्र उमाकान्त यादव सा० सरावा थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ को एक अदद रायफल .315 बोर व 7 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर , एक अदद खोखा कारतूस .315 बोर , एक अदद रायफल .375 बोर , 8 अदद जिन्दा कारतूस .375 बोर व 02 अदद फारचूनर गाडी व हाकी के साथ गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त:

1- रविकान्त यादव पुत्र उमाकान्त यादव सा० सरावा थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

बरामदगी –

- 1- एक अदद रायफल .315 बोर व 7अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर, एक अदद खोखा कारतूस .315 बोर
- 2- एक अदद रायफल .375 बोर, 8 अदद जिन्दा कारतूस .375 बोर
- 3- 02 अदद फारचूनर गाडी व हाकी

पंजीकृत अभियोग:-

- 1- मु० अ० सं० 18/21 धारा 147,148,149,307,353,341,504,506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट
- 2- मु०अ०स० 19/2021 धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह (थानाध्यक्ष थाना दीदारगंज)
2. उनि० बृजेश कुमार सिंह स्वाट प्रभारी (2) आजमगढ़
- 3- उ०नि० अमरनाथ यादव थाना दीदारगंज , आजमगढ़

थाना कन्धरापुर02 कि०ग्रा० अवैध गांजा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा चलाये गये अभियान वांछित / गैंगेस्टर चोर लुटेरा नकबजन के वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल निर्देशन में दि० 07.02.21 को कन्धरापुर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मुजफ्फरपुर पुलिस से टाप टेन अभियुक्त राकेश यादव उर्फ पप्पू पुत्र बंशू यादव ग्रा० भोर्ला मकबूलपुर थाना कन्धरापुर आजमगढ़ को दिनांक 07/02/21 को समय 12.35 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की जामा तलाशी लेने पर अभियुक्त राकेश यादव उर्फ पप्पू के कब्जे से अवैध गांजा 02 कि०ग्रा० बरामद हुआ। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त टाप टेन

1. राकेश यादव उर्फ पप्पू पुत्र बंशू यादव ग्रा० भोर्ला मकबूलपुर थाना कन्धरापुर आजमगढ़

बरामदगी

अभियुक्त के कब्जे से एक सफेद प्लास्टिक के झोले में 02 कि०ग्रा० अवैध गांजा बरामद हुआ।

पंजीकृत अभियोग

1. मु०अ०स० 14/21 धारा 8/20 NDPS ACT - थाना कन्धरापुर

अपराधिक इतिहास टाप टेन अभियुक्त

1. मु0अ0सं0- 12/01 धारा 60 EX ACT थाना जीयनपुर आजमगढ़
2. मु0अ0सं0- 11/01 धारा 8/20 NDPS ACT थाना जीयनपुर आजमगढ़
3. मु0अ0सं0- 1393/10 धारा 279/337/338/307/272/427 IPC थाना कन्धरापुर आजमगढ़
4. मु0अ0सं0-1396/10 धारा 4/25 A. ACT थाना कन्धरापुर आमजगढ़
5. मु0अ0सं0- 1397/10 धारा 60/62/63 EX ACT 272 IPC थाना कन्धरापुर आमजगढ़
6. मु0अ0सं0-111/18 धारा 354/504/506/452 भादवि थाना कन्धरापुर आमजगढ़
7. मु0अ0सं0-106/19 धारा 147/148/149/308/323/504/506/427 भादवि थाना कन्धरापुर आमजगढ़
8. मु0अ0सं0-07/19 धारा 3(1) उ0प्र0 गुण्डा एक्ट थाना कन्धरापुर आमजगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. SHO दिनेश कुमार सिंह- प्रभारी निरीक्षक कन्धरापुर
2. व0उ0नि0 कैलाश सिंह यादव - थाना कन्धरापुर
3. का0 नागेन्द्र यादव – थाना कन्धरापुर
4. का0 रामानन्द गोड- थाना कन्धरापुर

थाना-निजामाबाद

अवैध असलहा व जिन्दा कारतूस के साथ एक गिरफ्तार

प्रभारी निरीक्षक निजामाबाद शिवशंकर सिंह के कुशल नेतृत्व में व0उ0नि0 आकाश कुमार मय हमराहीयान के देखभाल क्षेत्र करते हुए रानी की सराय, डोडोपुर बाजार में अवैध वाहन /चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति में मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली की रानी की सराय से कस्बा निजामाबाद की ओर एक व्यक्ति अवैध असलहा के साथ मोटर साईकिल से आ रहा है कि पुलिस बल द्वारा डोडोपुर तिराहे पर चेकिंग किया गया तो रानी की सराय की तरफ से एक व्यक्ति मोटर साईकिल से आते हुए दिखाई दिया कि पुलिस बल द्वारा उक्त व्यक्ति को रोककर व घेर कर पकड़ लिया गया तथा कडाई से नाम पता पूछा गया को अपना नाम दीपक सिंह उर्फ बबलू सिंह पुत्र रामनयन सिंह सा0 रुदरी थाना रानी की सराय आजमगढ़ बताया तथा उपरोक्त व्यक्ति की जामा तलाशी ली गयी तो एक अदद तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद हुआ। गाडी सुपर स्प्लेन्डर नं0 UP50BU2017 के सम्बन्ध में कागजात मांगा गया तो कोई भी कागजात दिखाने में कासिर रहा तो गाडी को अन्तर्गत धारा 207 एम0वी0एक्ट में सीज कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 26/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर मा0न्यायालय चालान किया गया।

पूछताछ विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त से पूछने पर बता रहा है कि साहब यह असलहा अपने पास लोगों शौखिया व लोगों में भय बनाने के लिये रखता हूँ

गिरफ्तार अभियुक्त-

दीपक सिंह उर्फ बबलू सिंह पुत्र रामनयन सिंह सा0 रुदरी थाना रानी की सराय आजमगढ़

बरामदगी

एक अदद तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0- 26/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. व0उ0नि0 आकाश कुमार थाना निजामाबाद, आमजगढ़
2. हे0का0 अरबिन्द यादव थाना निजामाबाद, आमजगढ़

3. हे0का0 मनोज कुमार शर्मा थाना निजामाबाद, आमजगढ